


28-11-22 पत्रावली पेश हुई। वकील रेखो उपस्थित।  
वकील अपीलानु उपस्थित नही। वकील अपीलानु  
को बार-बार डावाज लगाई गई। बावजूद  
इसके अपीलानु लष्क व उसके अधिकार  
उपस्थित नही हैं। अतः पत्रावली अदालत  
दाखिली व अदालत पैली में खारिज की जाती  
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर  
से कत हो एवं बाद तकमील जात्रा दाखिल  
इफ्तार हो।

  
(एल.एस.कुटी)  
जिला कलेक्टर बुन्देलखण्ड

